रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240098 CG-DL-E-07112022-240098

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4987] No. 4987] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

सं. 41 /2015-2020

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022—अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7 (ii) में संशोधन—कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) का कार्यान्वयन।

का.आ. 5206(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और 9 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7 (ii) को संशोधित करती है।

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
आयातक आयात खेप के पहुंचने की प्रत्याशित तिथि से	आयातक आयात खेप के पहुंचने की प्रत्याशित तिथि
पंजीकरण के लिए अधिकतम 60 दिन पहले और कम से	से पंजीकरण के लिए अधिकतम 60 दिन पहले और
कम 15 दिन पहले तक आवेदन कर सकता है।	कम से कम 5 दिन पहले तक आवेदन कर सकता
स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए	है। स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के
वैध रहेगी। आयातक को खेप की निकासी हेतु	लिए वैध रहेगी। आयातक को खेप की निकासी हेतु

7418 GI/2022 (1)

सीमाशुल्क को समर्थ बनाने हेतु प्रविष्टि बिल में सीमाशुल्क को समर्थ बनाने हेतु प्रविष्टि बिल में पंजीकरण पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण की समाप्ति की तिथि को संख्या एवं पंजीकरण की समाप्ति की तिथि को दर्ज करना दर्ज करना होगा।

2. अधिसूचना का प्रभावः

आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7 (ii) को संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-4708 / 1902 / 2002 / पीसी-2(क) / पार्ट-I / ई-33668]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

No. 41/2015-2020

Subject: Amendment in Policy Condition No. 7(ii) of Chapter 27 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy) – Implementation of Coal Import Monitoring System (CIMS).

S.O. 5206(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 & 9 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy Condition No.7(ii) of Chapter- 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022:

Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
The importer can apply for registration not earlier than	The importer can apply for registration not earlier
60th day and not later than 15th day before the	than 60th day and not later than 5 days before the
expected date of arrival of import consignment. The	expected date of arrival of import consignment. The
Automatic Registration Number shall remain valid for	Automatic Registration Number shall remain valid for
a period of 75 days. Importer shall have to enter the	a period of 75 days. Importer shall have to enter the
Registration Number and expiry date of Registration in	Registration Number and expiry date of Registration in
the Bill of Entry to enable Customs for clearance of	the Bill of Entry to enable Customs for clearance of
consignment.	consignment.

2. Effect of the Notification:

The Policy Condition No. 7(ii) of Chapter- 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022 has been revised.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-4708/1902/2002/PC-2(A)/Part-I/E-33668] SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.